राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांकः प. 26(3)साप्र/2/2014 **जयपुर, दिनांक** 5 APR 2018

1. समस्त अतिरिक्त-मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगणं।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

–: परिपत्र :–

विषयः– राजकीय कार्यालयों हेतु अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण–शीर्ण राजकीय भवनों को राजकीय विभागों की आवश्यकतानुसार भवन/भूमि अस्थाई रूप से आवंटन करने के संबंध में।

सन्दर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.4.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 28.04.17 के क्रम में राजकीय कार्यालय/परिसर निर्माण तथा रिक्त/अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण–शीर्ण राजकीय भवनों को राजकीय विभागों की आवश्यकतानुसार भूमि/भवन अस्थाई रूप से हस्तानान्तरण/आवंटन के संबंध में संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति गठित की जाती हैः–

1. जिला कलक्टर–	**अध्यक्ष**
2. जिला कोषाधिकारी–	**सदस्य**
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–	**सदस्य**
4. सम्बन्धित विभाग का जिले में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी–	**सदस्य**

उक्त समिति निम्नांकित कार्यवाही सम्पादित करेगीः–

1. सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागीय आवश्यकतानुसार भवन/भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग उपयुक्त भूमि/भवन के चयन हेतु (सूची) सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट WWW.gad.rajasthan.gov.in एवं सम्बन्धित जिला प्रशासन की वेबसाईट का अवलोकन कर इसमें रिक्त भवन/भूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगें।
2. जो राजकीय भवन वर्तमान में उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं उन भवनों का राजकीय विभागों की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता से अस्थाई आवंटन की कार्यवाही कलक्टर की अध्यक्षता में गठित उक्त अधिकृत समिति द्वारा की जायेगी।
3. जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा उक्त समस्त राजकीय भवनों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में संधारित किया जावेगा।
4. जो राजकीय कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं, उन्हें सर्वप्रथम प्राथमिकता से उपलब्ध रिक्त राजकीय भवनों में से आवश्यकतानुसार भवन का अस्थाई आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट WWW.gad.rajasthan.gov.in एवं जिला प्रशासन की वेबसाईट के अनुसार उपयोग योग्य कोई भी राजकीय भवन रिक्त उपलब्ध होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।
6. उक्त वेबसाईटों में रिक्त भवन उपलब्ध होने की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
7. समस्त जिला कलक्टर रिक्त/अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण–शीर्ण राजकीय भवनों की सूचना पीडीएफ फॉर्मेट में प्रति माह सामान्य प्रशासन एवं जिला कलक्टर की वेबसाईट पर आवश्यक रूप से अपलोड कर अपडेट करेगें।
8. जो राजकीय भवन पूर्णतः जीर्ण–शीर्ण/जर्जर अवस्था में होकर उपयोग योग्य नहीं हैं इनकी भूमि को अस्थाई रूप से राजकीय विभागों की आवश्यकता अनुसार आवंटन किया जावेगा। सम्बन्धित विभाग, जिसे भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया है, वह सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28.4.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन भवन (बहुमंजिला) निर्माण की कार्यवाही सम्पादित करवायेगा।
9. गठित समिति द्वारा अनुपयोगी भूमियों/भवनों का अस्थाई हस्तानान्तरण/आवंटन राजकीय विभागों को किये जाने की स्थिति में भूमि एवं भवन का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

सभी जिला कलक्टर्स उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ 18000216 दिनांक 05.04.2018 के क्रम में।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि.
5. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर कृपया उक्त परिपत्र को विभाग वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

RKSonwal/Latters